राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 239/2016/जोधपुर
सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग,
विशेष वृत–II, जोधपुर — अपीलीर्थी

बनाम

मैसर्स उतमचन्द सुन्दरलाल
दिल्ली। — प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थितः
श्री डी.पी.ओझा
उप राजकीय अभिभाषक — अपीलार्थी की ओर से
श्री एम.सी.लूंकड
अभिभाषक — प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 25.01.2017

निर्णय

यह अपील सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, विशष–वृत–द्वितीय, जोधपुर (जिसे आगे ''कर निर्धारण अधिकारी'' कहा जायेगा) के द्वारा यह अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 489/अपील्स–I/आरवीएटी/जयपुर/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 15.07.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 33 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 04.12.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई अपील को स्वीकार किया है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है अपीलार्थी व्यवहारी दिल्ली का निवासी है, जिसके द्वारा राजस्थान के व्यवसायीयों को कन्साइमेंट बेसिस पर विक्रय हेतु माल भेजा गया था। इस संबंध में एजेन्ट को प्रेषित नोटिस की प्रति दिनांक 16.04.2008 को प्रेषित की गई। इसके संबंध में अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विस्तार पूर्वक अपना जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसमें विधिक बिन्दु उठाते हुये नोटिस की कार्यवाही को निरस्त किये जाने पर बल दिया गया। इसके पश्चात कर निर्धारण अधिकारी द्वारा एजेन्ट के विरुद्ध आदेश पारित कर अपीलार्थी व्यवहारी को प्रति दी गई। इसके विरुद्ध कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से जारी किये गये नोटिस आदेश सहित दिये गये मांग पत्र के संबंध में संशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलार्थी की ओर से अतिरिक्त आयुक्त (वैट एण्ड आई.टी) के समक्ष अधिनियम की धारा 37 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पत्रावली अन्यत्र स्थानातंरित किये जाने हेतु निवेदन किया गया। अतिरिक्त आयुक्त द्वारा दिनांक 01.11.2011 को पत्रावली वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–ए, जयपुर के क्षेत्राधिकार में स्थानांतरित की गई। वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवचंन राजस्थान वृत–द्वितीय, जयपुर द्वारा अपीलार्थी

की ओर से प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना पत्र का संशोधन किये जाने योग्य नहीं मानते हुए आदेश दिनांक 04.12.2012 को अस्वीकार कर आदेश पारित किया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

कर निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों पर विचार किये बिना कर व अधिभार रुपये 1840/– को अपास्त किया है। उनका कथन है कि हस्तगत प्रकरण का हस्तान्तरण उचित प्रकार से किया गया है, जिसके अन्तर्गत वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन,राजस्थान–द्वितीय,जयपुर को आदेश पारित करने कार क्षेत्राधिकार प्राप्त था,इसलिए इस बिन्दु पर अपील अस्वीकार किया जाना अविधिक है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने नियमों के विरूद्ध जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.07.2015 पारित किया है,जो अपास्त योग्य है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने अभिवाक् किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा टर्नओवर को घोषित नहीं करने पर निर्धारण अधिकारी द्वारा शास्ति रुपये 28,214/– आरोपित की गई है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अतिरिक्त आयुक्त महोदय द्वारा पारित किये गये आदेश क्रमांक प.16/30(37)/स्थाना/अति–आ/वैट एण्ड आई.टी/2012/160 दिनांक 01.11.2012 के पश्चात् दिनांक 04.12.2012 को पारित किया गया है जो कि अतिरिक्त आयुक्त के आदेश की अवहेलना है। इस प्रकार पत्रावली स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने से आदेश पारित किये जाने तक कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा अपनाई गयी प्रक्रिया प्राकृतिक न्यायिक सिद्धांतों के अनुसार विधिसम्मत नहीं है। उनका कथन है कि हस्तगत प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी ने अतिरिक्त आयुक्त द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पत्रावली कर निर्धारण अधिकारी, वृत–ए, जयपुर के क्षेत्राधिकार में स्थानांतरित होने के पश्चात् आदेश पारित किया गया है, जो कि विधिसम्मत नहीं है। उन्होंने कथन किया कि उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी येनकेन प्रकरण प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने हेतु आमादा थे, ऐसी स्थित में अस्वीकृत प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने हेतु एवं अपील स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि बिक्री हेतु भेजे गये माल के सहमति पत्र के अनुसार समस्त कर दायित्व एजेण्ट के द्वारा लिये गये थे ऐसी स्थिती में राजस्थान राज्य में पंजीकृत एजेण्ट के विरुद्ध ही कार्यवाही करने के लिये कर निर्धारण अधिकारी सक्षम थे। उनका कथन है कि एजेण्ट के द्वारा प्रिंसीपल को नियमानुसार एफ फार्म प्रेषित किये गये है तथा माल के गमनागमन के संबंध में समस्त दस्तावेज प्रमाणित किये है। विद्वान

अधिकृत प्रतिनिधि ने आगे कथन किया कि अधिनियम की धारा 24, 47 एवं भारतीय संविदा एक्ट की धारा 182 में एजेण्ट एवं प्रिंसीपल को परिभाषित किया गया है। अधिनियम की धारा 2 क्लॉज 14 में डीलर को परिभाषित किया गया है। इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 1 राजस्थान के व्यवसाईयों के लिये ही लागू होती है, जबकि अपीलार्थी राजस्थान राज्य के बाहर का निवासी है। अपीलार्थी राजस्थान राज्य के बाहर का रहने वाला है तथा वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान का पंजीकृत व्यवहारी नहीं है, इस प्रकार अपीलार्थी पर कर निर्धारण अधिकारी का कोई भी क्षेत्राधिकार नहीं बनता है इसलिए अधिनियम की धारा 47 के प्रावधान ऐसे प्रिंसपल एजेण्ट पर लागू होते है, जो राजस्थान राज्य में पंजीकृत व्यवहारी हो। इस प्रकार राजस्थान राज्य के बाहर के प्रिंसीपल अधिनियम की धारा 47 एवं अधिनियम के नियम 49 के प्रावधान लागू नहीं होते है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर विभाग की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभयपक्षों की बहस सुनी गई व उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से ज्ञात होता है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के मूल कर निर्धारण आदेश दिनांक 14.09.2011 का पारित किया गया था। इसके पश्चात् उक्त प्रकरण अतिरिक्त आयुक्त (वैट एण्ड आई.टी) वाणिज्यिक कर, राजस्थान, जयपुर के आदेश दिनांक 01.11.2012 से प्रकरण वाणिज्यिक कर अधिकारी / सहायक आयुक्त वृत–ए, जयपुर को स्थानातंरित किया, उसके पश्चात् कर निर्धारण अधिकारी ने मूल कर निर्धारण आदेश को अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत संशोधित कर दिया है, जबकि मूल प्रकरण जिससे स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अतिरिक्त आयुक्त(वैट आई टी) आदेश दिनांक 01.04.2012 के पश्चात् 04.12.2012 को संशोधन आदेश पारित किया गया है जबकि पत्रावली स्थानांतरण का आदेश अधिकारी के परिज्ञान में था। ऐसी स्थिती में दिनांक 04.12.2012 को हस्तगत प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी को संशोधित आदेश पारित करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं था। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 04.12.2012 का आदेश क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर पारित किया गया है, जिसे विधिक दृष्टि से उचित नहीं ठहराया जा सकता है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त कारणों का ध्यान में रखते हुये प्रकरण के गुणावगुण पर विचार किये बिना अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.07.2015 पारित किया है जिसमें किसी प्रकार त्रुटि नजर नहीं आती है, इसलिये अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.07.2015 की पुष्टि करते हुये कर निर्धारण अधिकारी कर ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनिल शर्मा)
सदस्य